☎0522-2286709-10
फैक्स–2286711
राज्य नगरीय विकास अभिकरण
नव चेतना केन्द्र,10 अशोक मार्ग,लखनऊ–226001
website-www.upsuda.org

पत्रांक– 3072–/241/NULM/तीन/2001(SM&ID) दिनांक– 04/11/15

सेवा में,

समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफीसर/परियोजना निदेशक,
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा,
उ0प्र0।

विषय : राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया इस पत्र के साथ संलग्न निदेशक एन0यू0एल0एम0 आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0–K–14015/1/2015–UPA (FTS–13728) दिनांक 07.10.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. भारत सरकार के उल्लिखित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के स्तर पर राज्यों द्वारा प्रेषित की जा रही मासिक आख्याओं (शहरों से प्राप्त मासिक आख्या के आधार पर भारत सरकार को भेजी जाने वाली आख्याएं) के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास (एस0एम0एण्ड आई0डी0) घटक की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, जबकि यह घटक सम्पूर्ण मिशन के घटकों के सुचारू रूप से संचालन हेतु गरीबों को संगठित कर गरीबी उन्मूलन एवं उनके शशक्तीकरण हेतु मुख्य रणनीति पर आधारित घटक है। सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत शहरों से प्राप्त आख्या के विश्लेषण से निम्नलिखित मुख्य बिन्दु प्रकाश में आये हैं :–

- संदर्भ संस्थाओं के माध्यम से एस0एच0जी0 गठन की गति अत्यन्त धीमी है जिसके दृष्टिगत एस0एच0जी0 गठन की कार्य योजना बनाकर गम्भीरता से युद्धस्तर पर कार्य किये जाने की नितान्त आवश्यकता है।
- शहरों द्वारा भेजी गयी आख्या में यदि रिपोर्टेड एस0एच0जी0 पूर्व में संचालित एस0जे0एस0आर0वाई0 के अन्तर्गत गठित किये गये समूह हो तो शहर स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि कितने एस0एच0जी0, पूर्व में संचालित एस0जे0एस0आर0वाई0 के अपग्रेड किये गये हैं तथा कितने एस0एच0जी0 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित किये गये हैं।
- इस प्रकार शहर में अब तक इस वित्तीय वर्ष में गठित कुल एस0एच0जी0 का ब्रेकअप माह नवम्बर की आख्या में प्रत्येक दशा में परिलक्षित होना अपरिहार्य है।
- मिशन के दिशानिर्देशों के बिन्दु संख्या 25 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पूर्व में संचालित एस0जे0एस0आर0वाई0 में गठित एस0एच0जी0 को जिनको पूर्व में रिवॉल्विंग फण्ड नहीं मिला है, उन्हें भी रिवॉल्विंग फंड दिया जा सकता है, जिसके दृष्टिगत यदि आपके शहर में पूर्व में गठित एस0एच0जी0 हो जिन्हें रिवॉल्विंग फण्ड नहीं दिया गया हो तो उन एस0एच0जी0 को भी रिवॉल्विंग फण्ड गाइडलाइन के अनुसार अवमुक्त कर दिया जाये।

- राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा शहरों हेतु शहरी आजीविका केन्द्र की स्वीकृत प्रदान की गई थी परन्तु कतिपय शहरों द्वारा अभी तक विधिवत संचालन प्रारम्भ नहीं किया गया है, जिससे सी0एल0सी0 की अपेक्षित प्रगति का आंकलन नहीं हो पा रहा है जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि स्वीकृत सभी सी0एल0सी0 का विधिवत संचालन तत्काल प्रारम्भ किया जाये। संचालित सी0एल0सी0 का पर्याप्त प्रचार प्रसार कर आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त पर संचालन हेतु सघन अनुश्रवण एवं दैनिक देखरेख के माध्यम से सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित किया जाये तथा सी0एल0सी0 की द्वितीय किश्त की मांग स्वीकृत के समय लगाई गयी शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित करते हुए नियमानुसार मांग की जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस घटक की महत्वता को ध्यान में रखते हुए इस घटक की प्रगति में तेजी करने हेतु तीव्र गति से कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

संलग्नक–यथोपरि

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शसन।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।
4. सहायक वेबमास्टर सूडा को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक